

$$B_{\alpha, \beta} = \frac{1}{\alpha + \beta} \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt = \frac{1}{\alpha + \beta} \int_0^1 t^{\alpha-1} dt = \frac{1}{\alpha + \beta} \left[\frac{t^{\alpha}}{\alpha} \right]_0^1 = \frac{1}{\alpha + \beta} \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha(\alpha + \beta)}$$

1994 1995 1996 1997

लेखा में
महालेखाकार (लेखा पूर्व हकनामि)
बिहार, भदवा।

1992年

[illegible][illegible]

9	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
10	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
11	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
12	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
13	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
14	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
15	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
16	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
17	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
18	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
19	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
20	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
21	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
22	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
23	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
24	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
25	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
26	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
27	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
28	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
29	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
30	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
31	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
32	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
33	Tajpur	Alamgarh	Construction of 100m x 10m x 10m	81.44	647.149	1.889	9.610	18.175	18.189	508.14
			कुल	1055.29						2315.85

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकात एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले जायेगी।
4. इन योजनाओं का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 से अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भावित होगा।
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-001-V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 05.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक वित्त समिति से दिनांक 22.01.2025 को इस योजना हेतु कुल 3000.00 करोड़ रुपये का Bank Of Sanction (BOS) प्राप्त है।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पौंच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अमल के संबंधित अद्वितीय अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करावेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०(नि०) मु०मं०से०-29/2025 के पृष्ठ संख्या- 15/टि० पर प्राप्त है।
10. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०) मु०मं०से०-59/2025 के पृष्ठ संख्या-24/टि० पर दिनांक 28-03-2025 को प्राप्त है।
11. ब्राड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर STA के Technical Vetting के उपरांत ही उच्च स्तरीय पुलों की प्रावैधिक स्वीकृति कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
19. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(सज्जवल कुमार सिंह)
विशेष सचिव